ताराख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

न0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 28/2013 अंतर्गत धारा 18 आर्म्स् एक्ट

(GCMS No. 2013/00010)

अनवानः

1. रणजीत कौर पत्नि स्व. धर्म सिंह जाति जट सिख निवासी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।

4.11.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार–बार आवाज लगाई गई, बार–बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नही हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर